न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20 / 2022(2022 / 144)

1. आलोक मोदी पुत्र गणेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन निवासी कावेरी पथ के0एल0 सेनी स्टेडियम के पास मानसरोवर जयपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र गोपाल जाट निवासी एकलसिंहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. बैजनाथ पुत्र हरनाथ (फौत) जाट
   2/1 प्रधान पुत्र बैजनाथ जाट निवासी एकलसिंहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. कालू पुत्र श्रवण जाति गुर्जर
4. धन्ना पुत्र श्रवण जाति गुर्जर
5. भंवरलाल पुत्र पोखर जाति गुर्जर
6. भागचन्द पुत्र श्रवण जाति गुर्जर
7. मोतिया पत्नि स्व लादू गुर्जर
8. रामप्रसाद पुत्र पोखर जाति गुर्जर
9. सांवरा पुत्र पोखर गुर्जर
10. सोराज पुत्र पोखर गुर्जर
    समस्त निवासीगण एकलसिंहा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
11. कविता भैरवा पत्नि हीरालाल भैरवा जाति बैरवा निवासी जयपुर
12. राजदेवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद जाति बैरवा निवासी जयपुर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री शिवप्रसाद पारासर— वकील प्रार्थी
श्री मुकेश गढवाल — वकील अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक 06/02/2023

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—एराज. काश्तकारी अधिनियम कापेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम/कस्बाएकलसिंहा तहसील केकडी में स्थित आराजीयात का विवरण निम्नानुसार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
291—361	591	3.49	बारानी 1
	592	0.50	बारानी 1
	593	0.16	बारानी 1
	किता 3	कुल रकबा 4.15 हैक्ट	

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने जाने के लिए एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 505 किस्म गै.मु. रास्ता से खसरा नम्बर 504, 504/1071, 499 की दक्षिणी मेड से होकर है तथा इन्ही खसरा नम्बर पर कदीमी रास्ता बना हुआ है जिसकी उपयोग प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही करते चले आ रहे है। अन्यत्र कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण ने नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम व कानूनों के विरूद्ध जाकर प्रार्थी प्रार्थी की आराजी के एकमात्र कदीमी रास्ते पर अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी व चाह पर आने जाने के एक मात्र रास्ते से महरूम हो गये है तथा अपनी आराजी का उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। अप्रार्थीगण ने इस रास्ते के उपयोग उपभोग नही करने देने के लिए प्रार्थी को एलानिया धमकिया दी तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा करने से मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर आने जाने के लिए ग्राम एकलसिंहा के खसरा नं. 504, 504/1071, 499 की दक्षिणी मेड पर बने कदीमी रास्ता से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु तैयार एवं तत्पर है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगणकी ओर से जवाब प्रार्थनापत्र एवं तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात ग्राम छाबडिया में स्थित होने के कारण वादी/प्रार्थी ग्राम छाबडिया की सीमा में दर्ज पुश्तैनी रास्ता खसरा नम्बर 630 की मेड पर होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आम रास्ता जिसके राजस्व नक्शे में अंकन खसरा नम्बर 777, 776, 773, 636, 638 है जिसमें होकर वादी अपनी वाद वर्णित अराजीयात खसरा नम्बर 591, 592, 593 में आता जाता है तथा वाद वर्णित आराजीयात के पुश्तैनी काश्तकार आराजीयात में आने जाने हेतु करीब 50 वर्षो से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है का ही उपयोग–उपभोग करने का ही अधिकार है। वाद वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 592, 592 व 593 को वादी ने मूल खातेदारों से खरीद की है जो कि उक्त आराजीयात के लगवा खसरा नम्बर 630 व 631 के खातेदारों की पुश्तैनी आराजीयात है। अतः खसरा नम्बर 630 व 631 के लगवा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गै.मु. रास्ता का उपयोग–उपभोग वादी/प्रार्थी व वादी द्वारा खरीदी गई आराजीयात के मूल खातेदार करते चले आ रहे है। जब किसी खातेदार के पास राजस्व रिकॉर्ड में अपनी आराजीयात में आने जाने बाबत वैकल्पिक रास्ता इन्द्राज हो तो ऐसी दशा में किसी भी काश्तकार को दूसरे काश्तकार की आराजीयात में से रास्ता लेने व प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नही है। अतः प्रतिवादीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादी/प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम छाबडिया के आराजी खसरानम्बर 591, 592, 593 प्रार्थीकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थीगण वर्तमान में अन्य खातेदारों के खेतो की मेड से होकर आवागमन कर रहे है।
3. प्रार्थीगण के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 505 गै.मु.रास्ता ग्राम लसाडिया से मेवदाकला तक जाने वाला रिकॉर्डेड रास्ता निकलता है।
4. प्रार्थीगण के खेत के पास से गुजरने वाले स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 505 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 504, 504/1071, 499 से नक्शे में दर्शित रास्ताजा ही उपयुक्त है।
5. प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार नजदीकी एवं सुविधाजनक अन्य रास्ता नही है।
6. प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल खसरा नम्बर 504 में से 148X6=888 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 504/1071 में से 6X6=36 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 499 में से 214X6= 1284 वर्गमीटर, कुल 2208

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है। जिसमें डी.एल.सी. दर 189832/— के दोगुना राशि से प्रतिकर राशि 83828/— रूपये बनती है ।

7. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

पक्षकारान के अधिवक्ताओं की ससम्मान बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताये गये रास्ते से ही प्रार्थी आवागमन कर रहा है तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता जो रास्ता बता रहे है वह हमारी आराजी के लगवा नही है साथ ही हमारा आवागमन कभी भी उस रास्ते से नही रहा है। धारा 251ए में नया रास्ता देने का प्रावधान ना होकर पूर्व में उपयोग उपभोग में लिया जा रहा रास्ता ही दिये जाने का प्रावधान है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पूर्व में मौके पर चालू रास्ते की ही मांग की गई है जो प्रार्थीगण के लिए नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है। वरवक्त सुनवाई अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों का उल्लेख किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस में बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु सुविधाजनक एवं निकटतम प्रतीत होता है।अतः विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिए ग्राम एकलसिंहा के आराजी खसरा नंबर 499 में से 1284 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 504 में से 888 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 504/1071 में से 36 वर्गमीटर, कुल 2208 वर्गमीटर जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर 189832/—की दोगुना से प्रतिकर राशि 83828/— (तियांसी हजार आठ सौ अट्ठाईस रूपये) बनते है। अतः उक्त राशि जमा कराने पर मौका रिपोर्ट में डेस लाईन (——) से प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थीगण को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम मौके पर्चे में वर्णितानुसार एवं नक्शाट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ता को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

आदेस खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner